"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2002—श्रावण 7, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2002

क्रमांक 5000/21-अ (प्रा.)/छ.ग./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन छत्तीसगढ़ औद्योगिक सम्बन्ध (संशोधन) अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है, जो सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 9 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अध्यादेश, 2002

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 9 सन् 2002) है.

(2) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवर्त होगा.

संशोधन का प्रभाव. 2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित होने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) निम्नलिखित धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी रहेगा.

धारा 9 का संशोधन. 3. छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा, स्थापित की जाए, अर्थात्—

"(1) राज्य के लिए एक औद्योगिक न्यायालय होगा जो अध्यक्ष और एक या एक से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें राज्य सरकार, समय-समय पर, नियुक्त करना आवश्यक समझे."

रायपुर :
दिनांक 28-7-2002

राज्यपाल
छत्तीसगढ़.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 9 of 2002)

THE CHHATTISGARH INDUSTRIAL RELATIONS (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2002

An ordinance to amend the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960)

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Fifty-third Year of the Republic of India.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following ordinance :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Ordinance May be called the Chhattisgarh Industrial Relations (Sanshodhan) Adhyadesh 2002 (No. 9 of 2002).

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

Effect of amendment.

2. During the operation of this ordinance, the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27, of 1960) shall have effect subject to the amendment specified in the following section 3.

Amendment in Section 9.

3. In section 9 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely—

"(1) There shall be an Industrial court for the State consisting of the President and one or more members as the State Government may, from time to time, think fit to appoint."

Governor
Chhattisgarh.

Raipur :
Dated the 28-7-2002

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.